



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 चैत्र, 1946 (श०)

संख्या - 200 राँची, मंगलवार,

2 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-49/2020-8428 (HRMS)--श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, झा०प्र०से० (पंचम बैच, कोटि क्रमांक-548/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा सदर के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2783, दिनांक 21.08.2020 के माध्यम से उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-243, दिनांक 26.06.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया। श्रीमती एक्का के विरुद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्री सुखदेव टोप्पो, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के बकाया वेतन भुगतान हेतु उपावंटित राशि को जानबूझकर प्रत्यर्पित कर देना। सरकारी सेवक के रूप में इनकी भूमिका अत्यंत भ्रामक, लापरवाह एवं असंतोषजनक तथा सरकारी सेवक के कार्य प्रणाली के प्रतिकूल है। वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना इनकी कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

2. दिनांक 13.01.2020 से 29.01.2020 तक कुल 17 दिनों तक अवकाश में रहने के बावजूद बिना सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत कराए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वेतन की निकासी कर लेना।

3. श्री प्रेमचन्द साव, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, जामताड़ा का दिनांक- 05.04.2018 एवं दिनांक- 06.04.2018 का दो दिनों का कार्य पर उपस्थित रहने के बावजूद, जानबूझकर प्रताड़ित करने मात्र के उद्देश्य से वेतन की कटौती करना।

4. विभागीय निर्देश का उल्लंघन करते हुए गोपालपुर पंचायत में 14वें वित्त आयोग की राशि से EESL के स्थान पर अन्य एजेंसी से स्ट्रीट लाइट का क्रय करना तथा इसकी सूचना प्राप्त होने पर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देने के बावजूद जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करना उनके मनमाने रवैया, स्वेच्छारिता के साथ-साथ वरीय पदाधिकारी के आदेश के उल्लंघन तथा 14वें वित्त आयोग की योजना में रुचि नहीं लिये जाने का द्योतक है।

5. मनरेगा योजना अंतर्गत जामताड़ा प्रखंड के रानीडीह पंचायत में लाभुक परेश मुर्मू का तालाब निर्माण की योजना में जेसीबी मशीन का उपयोग होने की शिकायत प्राप्त होने के बाद भी मशीन को जब्त करते हुए संबंधित सभी जवाबदेह कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को दर्शाता है।

6. श्रीमती अमृता प्रियंका एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का आचरण प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के साथ शालीन नहीं है। उनके खराब आचरण के एक संबंध में विभिन्न माध्यम से लगातार शिकायत प्राप्त है।

7. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजना में रुचि नहीं लेना।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4906, दिनांक 29.09.2020 द्वारा श्रीमती एक्का से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती एक्का के पत्र, दिनांक 22.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई। श्रीमती एक्का द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में सभी आरोपों को पूर्णतया गलत एवं निराधार होना प्रतिवेदित किया गया। इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किया गया है तथा नियमानुसार एवं ससमय कार्यवाही कि गई है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य 2019 एवं कोविड 2019 के अवधि में स्वयं के गर्भावस्था में भी पूरी शिलनीष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ सभी कार्यों का नियमानुसार संपादन किया है। श्रीमती एक्का के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1189, दिनांक 24.02.2021 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया, परन्तु मंतव्य अप्राप्त रहा।

श्रीमती एक्का के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती एक्का के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में आरोप संख्या 01 श्री टोप्पो के बकाया वेतन मो0/-08,46,255 रु0 की भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन में जान बूझकर प्रत्यार्पित करने पर समर्पित तथ्य संतोषजनक नहीं है, क्योंकि विकास शाखा, जामताड़ा के पत्र ज्ञापांक-433 दिनांक 26.10.2019 के द्वारा विशेष दूत की प्रतिनियुक्ति कर श्री टोप्पो की सेवापुस्त का जाँच कराने के निदेश के पश्चात् भी पाँच माह की अवधि में श्री टोप्पो का सेवापुस्त का जाँच नहीं कराया गया। फलस्वरूप श्री टोप्पो का बकाया वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में सभी कर्मियों का व्यस्त रहना बताया गया है, जो पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं है।

दूसरा आरोप 'दिनांक 13.01.2020 से 29.01.2020 तक कुल 17 दिनों तक अवकाश में रहने के बावजूद बिना सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत कराए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वेतन की

निकासी कर लेना', के आलोक में इनके द्वारा साक्ष्य समर्पित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अवकाश हेतु उपायुक्त, जामताड़ा को अभ्यावेदन समर्पित की गई है। आरोप संख्या 4 'गोपालपुर पंचायत में 14वें वित्त आयोग की राशि से EESL के स्थान पर अन्य एजेंसी से स्ट्रीट लाइट का क्रय करना तथा इसकी सूचना प्राप्त होने पर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देने के बावजूद जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने' के संबंध में प्रतिवेदित है कि उक्त कार्य एवं क्रय संबंधित पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा की गयी थी। इस संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ राशि की वसूली एवं मुखिया की वित्तीय शक्ति को जब्त करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय के पत्रांक दिनांक 26.07.2020 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा को प्रेषित की गयी थी।

आरोप संख्या 5 परेश मुर्मू का तलाब निर्माण योजना में जे०सी०बी० मशीन का उपयोग होने में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि संबंधित जिम्मेदार कर्मियों से मो०- 01,68,266 रु० की वसूली कर नजारत में जमा कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आरोप संख्या 01 को छोड़कर अन्य सभी आरोपों पर समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकारात्मक है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा सदर को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री अमृता प्रियंका एक्का, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA PRIYANKA EKKA 110007710610	श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा सदर को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
